न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पाकुड़

एम0 आर0 ए0 वाद सं0–18/2011–12

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़–बनाम–मे0 जय भरत कन्सट्रक्शन, पाकुड़।

आदेश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
01	02	03
	यह वाद विज्ञ उपायुक्त पाकुड़ के न्यायालय से सुनवाई एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ है। यह वाद मौजा खपराजोला के दाग सं0–326, के अंतर्गत रकवा 1.75 एकड़ भूमि जो जमाबंदी नं0–37/31 मे0 जय भरत कन्सट्रक्शन, पाकुड के नाम से कायम है उसके विलोपन से संबंधित है। विपक्षी द्वारा भूमि के दावे से संबंधित दस्तावेज तथा लिखित जबाब दाखिल नहीं किया गया है। वाद में विपक्षी की लगातार अनुपस्थिति से प्रतीत होता है कि वाद में उनकी अभिरूची नहीं है न ही उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में कागजात प्रस्तुत किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी को उक्त भूमि स्टोन माईनिंग लीज हेतु दिनांक–17.06.1990 से 10(दस) वर्षों तक की अवधि के लिए समाहर्त्ता, साहेबगंज द्वारा लीज प्रदत्त है। स्टोन माईनिंग लीज के आधार पर जमाबंदी सृजन की कार्रवाई सर्वथा अवैध है। अतः मौजा खपराजोला के दाग सं0–326, के अंतर्गत रकवा 1.75 एकड़ भूमि का विपक्षी मे0 जय भरत कन्सट्रक्शन, पाकुड के नाम से पंजी–II में सृजित जमाबंदी को विलोपन किया जाता है। साथ ही अंचल अधिकारी, पाकुड़ निदेश दिया जाता है कि तदनुसार जमाबंदी विलोपन करते हुए प्रश्नगत भूमि को सरकारी कब्जे में लेना सुनिश्चित करेंगें। लेखापित। 21.7.2023 अपर समाहर्त्ता, पाकुड़। 21.7.2023 अपर समाहर्त्ता, पाकुड़।	

Digitally signed by MANJU RANI SWANSI
Date: 2023.11.03 16:39:01 +05:30
Location: 192.168.0.108

Scanned with OKEN Scanner